



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 355 राँची, सोमवार,

14 जुलाई, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

18 जून, 2025

संख्या-5/आरोप-1-4/2022-31278 (HRMS)--श्री राम सुमन प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-492/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हंटरगंज के विरुद्ध उपायुक्त, चतरा के द्वारा गठित आरोप पत्र राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-318, दिनांक 04.02.2022 द्वारा कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराया गया है ।

आरोप पत्र में श्री प्रसाद के विरुद्ध वशिष्टनगर थानान्तर्गत मौजा-करमाली के खाता सं०-1, प्लॉट सं०-2 में गैर मजरूआ खास किस्म जंगल झाड़ी से संबंधित तथ्यों को छुपाते हुए खनन पट्टा हेतु आवेदित भूमि को टांड कृषि योग्य रैयती मान्यता प्राप्त तथा क्षेत्र वन सीमा से बाहर बताने एवं अनुशंसा करने, तथ्यों को छुपाने/राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का पर्यवेक्षण ठीक से नहीं करने, खनन पट्टा हेतु अनुशंसा करने तथा वरीय पदाधिकारी को गलत मंशा से प्रतिवेदन भेजने एवं दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1202, दिनांक 25.02.2022 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री प्रसाद के पत्रांक-312, दिनांक 27.06.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

समर्पित स्पष्टीकरण में श्री प्रसाद द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित भूमि मौजा-करमाली, थाना नं०-149 अन्तर्गत खाता सं०-1, प्लॉट सं०-2, रकबा-2.84ए० की जाँच तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैर मजरूआ खास खाते की भूमि है, किस्म कॉलम में जंगल है। वर्तमान समय में आवेदित भूमि टांड श्रेणी की है, जिससे कृषि कार्य होता है, जिसे कार्यालय पत्रांक-649, दिनांक 25.11.2016 से भेजा गया।

गठित आरोप पत्र पर उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-10/स्था०, दिनांक 06.01.2021 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भेजे गये मंतव्य में सुस्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में पदस्थापित अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विवेच्य भूमि की किस्म गैर मजरूआ खास जंगल है, इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री प्रसाद द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में तथ्यों को छुपाया नहीं गया है, जिसके फलस्वरूप लीज धारकों की लीज बन्दोबस्ती रद्द की गयी। साथ ही, श्री प्रसाद द्वारा उल्लेखित है कि उनके कार्यकाल अवधि (18.06.2016 से 28.02.2019) में अपर समाहर्ता, चतरा, अनुमंडल पदाधिकारी, चतरा, आयुक्त, उ०छो० प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा भी प्रश्नगत भूमि संबंधी विस्तृत जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई थी, जिसके आलोक में कार्यालय पत्रांक-460, दिनांक 21.06.2018, पत्रांक-492, दिनांक 29.06.2018, पत्रांक-507, दिनांक 04.07.2018 एवं पत्रांक-24.01.2019 द्वारा विस्तृत जाँच प्रतिवेदन भेजा गया है।

3. श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-4379, दिनांक 20.07.2022 द्वारा उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-569, दिनांक 28.11.2022 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त, चतरा द्वारा निम्नवत् मंतव्य दिया गया-

“श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण आंशिक रूप से स्वीकार है। श्री प्रसाद द्वारा अपने पूर्ववर्ती अंचलाधिकारी के प्रेषित प्रतिवेदन के आलोक में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जबकि राजस्व पदाधिकारी के रूप में श्री प्रसाद का यह दायित्व था कि प्रतिवेदन समर्पित करने के पूर्व राजस्व कागजातों की गहन जाँच की जाती, परन्तु श्री प्रसाद द्वारा अपने पूर्ववर्ती अंचलाधिकारी, हंटरगंज द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन को सही मान लिया गया। तत्कालीन अपर समाहर्ता, चतरा द्वारा पत्रांक-838, दिनांक 11.07.2018 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में भी प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में पदस्थापित अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विवेच्य भूमि की किस्म गैर मजरूआ खास जंगल है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री प्रसाद द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में तथ्यों को छुपाया नहीं गया है, जिसके फलस्वरूप लीज धारकों की लीज बन्दोबस्ती रद्द की गयी।”

4. श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, चतरा से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा अपने पूर्ववर्ती अंचल अधिकारी के प्रेषित प्रतिवेदन के आलोक में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जबकि राजस्व पदाधिकारी के रूप में श्री प्रसाद का यह दायित्व था कि प्रतिवेदन समर्पित करने के पूर्व राजस्व कागजातों की गहन जाँच की जाती। परन्तु श्री प्रसाद द्वारा अपने पूर्ववर्ती अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन को सही मान लिया। तत्कालीन अपर समाहर्ता, चतरा के पत्रांक-838, दिनांक 10.07.2018 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में भी प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान में पदस्थापित अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि की किस्म गैरमजरूआ खास जंगल है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्री प्रसाद द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में तथ्यों को छुपाया नहीं गया है। उनके द्वारा अपने पत्रांक-649, दिनांक 25.11.2016 से भेजे गये राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के संलग्न प्रतिवेदन में भूमि की किस्म जंगल झाड़ी अंकित है। उपायुक्त ने यह प्रतिवेदित किया है कि उक्त आधार पर ही लीज बंदोबस्ती को बाद में रद्द कर दिया गया।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAM SUMAN PRASAD JHK/JAS/188	श्री राम सुमन प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-492/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हंटरगंज को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

अतः समीक्षोपरांत, उपायुक्त, चतरा के प्रतिवेदन के आलोक में श्री राम सुमन प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-492/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हंटरगंज को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राम सुमन प्रसाद, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
